परिपत्र संख्या : 4/2026

फा.सं. : 370142/14/2026-टीपीएल

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक : 31 मार्च, 2026

विषय: दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) द्वारा संदर्भन - संबंधित

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (बोर्ड) को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा धारा 292ख एवं आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधनों (धारा 292खक को शामिल करते हुए) तथा वित्त अधिनियम, 2026 द्वारा आयकर अधिनियम, 2025 [धारा 522] को देखते हुए यह निर्दिष्ट किया जाता है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 116 के वाक्यांश (कक) से (ज) में संदर्भित किसी भी आयकर प्राधिकारी द्वारा कंप्यूटर जनित दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) की अनिवार्यता इस परिपत्र में निर्दिष्ट तरीके से होगी। तदनुसार, इस विषय पर परिपत्र संख्या 19/2019 दिनांक 14.08.2019 इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से प्रभावहीन हो जाएगा।

2. उक्त पैरा में संदर्भित आयकर प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज़ पहचान संख्या (डीआईएन) द्वारा संदर्भन, अब से, निम्नानुसार होगा अर्थात् :

(क) किसी व्यक्ति (जो आयकर अधिनियम या किसी अन्य विधि के अंतर्गत अधिकारी या प्राधिकरण नहीं है) के साथ पहले पैरा में संदर्भित आयकर प्राधिकरण द्वारा कोई भी पत्राचार जैसे कि नोटिस, पत्र, आदेश, प्रारूप आदेश, समन आदि [जिसे आगे "संचार" कहा जाएगा], पैरा 2(ख) से पैरा 2(घ) और पैरा 3 के अनुसार डीआईएन द्वारा संदर्भित किया जाएगा।

(ख) ऐसे संचार में डीआईएन द्वारा संदर्भन का अर्थ यह भी होगा कि ऐसे संचार के साथ डीआईएन का उल्लेख करने वाला पृथक दस्तावेज़ संलग्न किया जाए अथवा ईमेल या अन्य माध्यम में डीआईएन का उल्लेख किया जाए।

(ग) जहां ऐसा संचार किसी भी तरीके में डीआईएन द्वारा संदर्भित है, तो यह आवश्यक नहीं होगा कि उस संचार के प्रत्येक पृष्ठ पर डीआईएन भी संदर्भित हो।

(घ) सार्वजनिक संचार जैसे दिशा-निर्देश, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल आदि में डीआईएन द्वारा संदर्भन आवश्यक नहीं होगा।

3. कुछ परिस्थितियों में डीआईएन द्वारा संदर्भन संभव नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में संचार बिना अपवाद के विषय के तौर पर डीआईएन द्वारा संर्दभन के बिना जारी किया जा सकता है। ऐसी स्थितियाँ उदाहरण के तौर पर हैं

(क) जहां डीआईएन द्वारा संदर्भन में तकनीकी कठिनाइयाँ हों या संचार को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी करना तकनीकी रूप से संभव न हो;

(ख) जहां पूछताछ, सत्यापन आदि से संबंधित संचार किसी आयकर प्राधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु ऐसी स्थिति में जारी किया जाना आवश्यक हो, जहां डीआईएन द्वारा संदर्भन के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों तक पहुंच उपलब्ध न हो (उदाहरणार्थ, जब ऐसा प्राधिकारी कार्यालय से बाहर हो)

(ग) जहां पैन के अंतरण में विलंब के कारण पैन गैर-क्षेत्राधिकारी निर्धारण अधिकारी के पास हो

(घ) जहां निर्धारिती का पैन उपलब्ध न हो

(ङ) जहां प्रणाली में संचार जारी करने की सुविधा उपलब्ध न हो।

4. उपरोक्त पैरा 3 में संदर्भित ऐसे सभी संचारों में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि निर्दिष्ट अपवादात्मक परिस्थितियों के कारण डीआईएन के बिना इसे जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे सभी संचारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे संचार के जारी करने की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर कार्योत्तर अनुमोदन की आवश्यका होगी जो जारी करने वाले आयकर प्राधिकारी द्वारा लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों पर आाधारित होगा।

5. उपरोक्त पैरा 4 के प्रयोजनों के लिए:

(i) संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक के रैंक से नीचे के आयकर प्राधिकारी द्वारा जारी संचार के लिए सक्षम प्राधिकारी संयुक्त आयुक्त/संयुक्त निदेशक/अपर आयुक्त/अपर निदेशक (आयकर) होंगे।

(ii) वाक्यांश (i) में सम्मिलित न होने वाले अन्य सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी मुख्य आयुक्त/ आयकर महानिदेशक होंगे।

6. उपरोक्त पैरा 3(क), 3(ख) तथा 3(ग) में निर्दिष्ट परिस्थितियों में जारी संचार, उनके जारी किए जाने की तिथि से 15 कार्य दिवसों के भीतर, उपयुक्त डीआईएन संदर्भ सहित, जारी करने वाले आयकर प्राधिकारी द्वारा प्रणाली पर अपलोड किए जाएंगे।

(प्रदीप शर्मा)
उप सचिव, टीपीएल-IV, सीबीडीटी

I. वित्त मंत्री के निजी सचिव/वित्त मंत्री के ओएसडी/राज्य मंत्री (वित्त)के निजी सचिव/राज्य मंत्री (वित्त) के ओएसडी
II. सचिव (राजस्व) के निजी सचिव
III. अध्यक्ष, सीबीडीटी व समस्त सदस्य, सीबीडीटी
IV. समस्त प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, सीबीडीटी
V. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
VI. आयकर आयुक्त (एमएंडटीपी), आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी
VII. प्रधान आयकर महानिदेशक (पद्धति) कार्यालय, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोडिंग
VIII. अपर आयकर आयुक्त (डेटाबेस प्रकोष्ठ) विभागीय वेबसाइट पर अपलोडिंग के लिए